बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन ।

(भाग 1—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

बुधवार, तिथि 14 जुलाई, 1976

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
अल्पसूचित प्रश्नोत्तर संख्या—43, 44	1—10
तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या—क-120, 560, 561, 1362, 1364—1372, 1375, 1376, 1378, 1380, 1382—1384, 1387, 1388, 1390—1392, 1394, 1395, 1397, 1404, 1406--1408, 1410—1412, 1416, 1418, 1419, 1421, 1423, 1424, 1426, 1430, 1432, 1433, 1434, 1435, 1438, 1439, 1442—1444, 1447, 1452, 1457, 1460, 1462, 1463, 1465—1467, 1469, 1470, 1473, 1475, 1477, 1482, 1485, 1487, 1489—1492 ।	11—88
परिशिष्ट (प्रश्नों के लिखित उत्तर) :	89—101
दैनिक निबन्ध	103—106

टिप्पणी—जिन मन्त्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है उनके नाम के आगे (*) चिह्न लगा दिया गया है ।

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—(1) मुंगेर जिलान्तर्गत बेलदौर प्रखण्ड जीप (गाड़ी नं० बी० आर० एच० 1272) सन् 1973 से ही अत्यधिक खराब अवस्था में है। जीप की मरम्मती हेतु मोटर यान निरीक्षक, मुंगेर से प्रतिवेदन प्राप्त कर निविदा कई बार निकाली गयी, परन्तु निविदा अपूर्ण तथा अत्यधिक होने के कारण 15 जुलाई, 1976 के पहले इस जीप की मरम्मती का आदेश किसी भी फार्म को नहीं दिया जा सका। जुलाई, 1975 में इस जीप की मरम्मती हेतु एक्सपर्ट ओटो मोबाइल इन्जिनियरिंग, तोपखाना बाजार, मुंगेर को आदेश दिया गया। सम्प्रति इस जीप की मरम्मती हो रही है एवं आशा की जाती है कि एक महीने के अन्दर मरम्मत पूरी हो जायगी।

(2) निधि उपलब्ध है।

(3) प्रश्न नहीं उठता है।

प्राचार्य पर कार्रवाई।

1430. श्री निर्मलेन्दु भट्टाचार्य—क्या मन्त्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत कार्यानन्द शर्मा स्मारक कालेज, लखीसराय के प्राचार्य के विरुद्ध कालेज कोष के गबन एवं दुरुपयोग हेतु विश्वविद्यालय ने 1975 में जांच समिति का गठन किया है;

(2) क्या यह बात सही है कि जांच समिति ने आरोपों की जांच कर 1976 के जनवरी में ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बतलायेगी कि कोष से कितने के गबन का पता चला तथा जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कौन-सी कार्रवाई की गई, यदि नहीं, तो क्यों?

डॉ० रामराज प्रसाद सिंह—(1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(2) अभी तक जाँच समिति द्वारा तद्विषयक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) ऊपर खंड 2 की स्थिति को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता है।